सत्र समीक्षा

पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा का

प्रथम् सत्र

पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा का प्रथम् सत्र मंगलवार, दिनांक 15 जनवरी, 2019 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् .....' से आरम्भ हुआ तथा बुधवार, दिनांक 13 फरवरी, 2019 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। इस सत्र का सत्रावसान दिनांक 1 मार्च, 2019 को हुआ।

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि
प्रथम सत्र	9	जनवरी माह – 15, 16, 17, 18, 21, 22 व 23 फरवरी माह – 11 व 13

सभापति तालिका

सत्र के दौरान दिनांक 15 जनवरी, 2019 को अस्थायी अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि माननीय राज्यपाल ने निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नियुक्त किया है –

1. श्री भँवर लाल शर्मा
2. श्री परसराम मोरदिया
3. श्री महादेव सिंह

दिनांक 18 जनवरी, 2019 को माननीय अध्यक्ष ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत निम्नांकित सदस्यों को सभापति तालिका के लिये मनोनीत किया –

1. श्री राजेन्द्र पारीक
2. श्री जितेन्द्र सिंह
3. श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया
4. श्री ज्ञानचंद पारख

शपथ/प्रतिज्ञान

दिनांक 15 जनवरी, 2019 को पन्द्रहवीं राजस्थान विधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के अतिरिक्त 198 नव–निर्वाचित सदस्यों में से 197 सदस्यों ने शपथ ग्रहण की अथवा प्रतिज्ञान किया। 185 सदस्यों ने हिन्दी में, 10 सदस्यों ने संस्कृत में, 2 सदस्यों ने अंग्रेजी में शपथ लेने अथवा प्रतिज्ञान करने के पश्चात् सदस्य नामावली रजिस्टर में हस्ताक्षर किये। दिनांक 16 जनवरी, 2019 को श्री हेमाराम चौधरी तथा दिनांक 11 फरवरी, 2019 को श्रीमती सफिया जुबेर ने हिन्दी में शपथ ली।

अध्यक्ष का निर्वाचन

सत्र के दौरान दिनांक 16 जनवरी, 2019 को श्री अशोक गहलोत, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया 'कि डॉ. सी.पी. जोशी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या–181 को राजस्थान विधान सभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया जाए।' इस प्रस्ताव का अनुमोदन श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा ने किया। इसी प्रकार के प्रस्ताव श्री सचिन पायलट, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री कान्ति प्रसाद एवं श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा ने किये जिनका अनुमोदन क्रमशः श्रीमती वसुन्धरा राजे, डॉ. महेश जोशी, श्री बाबूलाल नागर एवं श्री हनुमान बैनिवाल ने किया। श्री अशोक गहलोत, सदस्य विधान सभा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकार किया जाकर डॉ. सी.पी. जोशी, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या–181) सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धरा राजे, सदस्य, राजस्थान विधान सभा, श्री सचिन पायलट, उप मुख्य मंत्री एवं श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य राजस्थान विधान सभा द्वारा नव–निर्वाचित अध्यक्ष को बधाई देते हुए अध्यक्षपीठ तक ले जाया गया। इस अवसर पर मुख्य मंत्री सहित 12 विधायकों ने बधाई देते हुए अपने विचार प्रकट किये। नव–निर्वाचित माननीय अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी ने सदस्यों से सहयोग की कामना करते हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित किये जाने पर आभार व्यक्त किया।

अध्यक्ष का उद्‌बोधन

दिनांक 17 जनवरी, 2019 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समय सदस्य द्वारा अमर्यादित व्यवहार किये जाने के विषय में माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 16 जनवरी, 2019 को अपना उद्‌बोधन दिया। उन्होंने कहा कि यद्यपि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण विधान सभा की कार्यवाही का भाग नहीं है, परन्तु अभिभाषण के दौरान जिस तरह का व्यवहार हमने परिलक्षित किया, वह हम सबके लिए शर्मिन्दगी का सवाल है। मैं प्रत्येक सदस्य से अपेक्षा करता हूँ कि वह नियम और प्रक्रिया का पालन करे। यदि भविष्य में इस तरह की कोई घटना होगी, जिसमें नियम और परम्पराओं का पालन नहीं होगा, तो मुझे कठोर कार्यवाही करनी पड़ेगी।'

श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री ने उक्त सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए घटना की निंदा की। श्री गुलाब चन्द कटारिया, सदस्य, विधान सभा ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए सम्बन्धित सदस्य के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने का अनुरोध किया।

तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने कहा कि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण प्रोसिडिंग का पार्ट नहीं है। उक्त घटना को न तो सदन के नेता ने एप्रीशिएट किया और न ही कोई और कर रहा है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई भी सदस्य यदि सदन के नियम और कानून का पालन नहीं करेगा, तो नियमों के अन्तर्गत जो कठोर से कठोर कार्यवाही करनी है, वो कार्यवाही मैं करूँगा।

दिनांक 18 जनवरी, 2019 को सदन में चल रहे गतिरोध को दूर करने के लिए माननीय अध्यक्ष ने उद्‌बोधन दिया। उन्होंने कहा, 'माननीय सदस्य इस बात को एप्रीशिएट करेंगे कि जो मुद्दा प्रतिपक्ष के नेता ने उठाया, उस मुद्दे पर सदन की राय आनी चाहिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। विषय की गंभीरता को देखते हुए मेरा आपसे अनुरोध है कि माननीय मुख्य मंत्री जी राज्यपाल के भाषण के रिप्लाई

में, आपने जो मुद्दे उठाये हैं, उनका जवाब देंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप इस डिबेट को आगे प्रारम्भ करने के लिये इजाजत दें।'

प्रतिपक्ष दल को मान्यता तथा प्रतिपक्ष दल के नेता की घोषणा

दिनांक 17 जनवरी, 2019 को माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि भारतीय जनता पार्टी से इस आशय की सूचना प्राप्त हुई है कि उदयपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया को विधायक दल का नेता चुना गया है। उन्होंने सदस्यों को सूचित किया कि राजस्थान विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी को प्रतिपक्ष दल के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है तथा पार्टी के नेता श्री गुलाब चन्द कटारिया को प्रतिपक्ष दल का नेता मान लिया गया है।

राज्यपाल का अभिभाषण

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 17 जनवरी, 2019 को माननीय राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने सदन में अभिभाषण दिया। अभिभाषण के दौरान कतिपय सदस्यों ने व्यवधान किया। संसदीय कार्य मंत्री श्री शान्ती कुमार धारीवाल के प्रस्ताव पर माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़ा हुआ माना गया। दिनांक 18 जनवरी, 2019 को सदस्य श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया ने अभिभाषण पर राज्यपाल महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन श्रीमती शकुन्तला रावत ने किया। धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा में दिनांक 18 जनवरी, 2019 को 12 सदस्यों ने, 21 जनवरी, 2019 को 15 सदस्यों ने, 22 जनवरी, 2019 को 27 सदस्यों ने तथा 23 जनवरी, 2019 को 14 सदस्यों ने भाग लिया। इस प्रकार चार दिवस हुई चर्चा में कुल 68 सदस्यों ने भाग लिया। वाद–विवाद में भारतीय जनता पार्टी के 22, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 29, बहुजन समाज पार्टी के 5, भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2, माकपा के 2 तथा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक सदस्य ने भाग लिया। सात निर्दलीय सदस्यों ने भी भाग लिया। महिला सदस्यों में भाजपा की श्रीमती किरण माहेश्वरी तथा इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत, सुश्री दिव्या मदेरणा, श्रीमती जाहिदा खान एवं श्रीमती इंदिरा ने भाग लिया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर हुए वाद–विवाद पर दिनांक 23 जनवरी, 2019 को सरकार की ओर से मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने उत्तर दिया। तत्पश्चात् श्री अभिनेश महर्षि एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव को अस्वीकार किया जाकर राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकार किया गया।

सदन में अव्यवस्था और बैठक का स्थगन

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 18 जनवरी, 2019 को प्रदेश में किसानों की सम्पूर्ण कर्ज माफी की मांग को लेकर प्रतिपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन–कूप में आकर नारेबाजी करने के फलस्वरूप सदन में व्यवधान उपस्थित हुआ तथा बैठक 12.05 बजे आधे घंटे के लिए स्थगित की गयी। इसके पश्चात् 12.38 बजे 5 मिनट के लिये तथा अपराह्न 1.16 बजे एक घंटे के लिए स्थगित की गयी।
2. दिनांक 23 जनवरी, 2019 को प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न संख्या 30 के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन–कूप में आकर नारेबाजी करने से सदन में अव्यवस्था एवं व्यवधान हुआ।

3. दिनांक 11 फरवरी, 2019 को शून्यकाल में अध्यक्षीय व्यवस्था के अन्तर्गत श्री गुलाब चन्द कटारिया ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किये जाने विषयक मुद्दा उठाया जिस पर प्रभारी मंत्री श्री शान्ती कुमार धारीवाल के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन–कूप में आकर नारेबाजी करने से सदन में अव्यवस्था तथा व्यवधान हुआ। सदन की बैठक अपराह्न 1.00 बजे एक घंटे के लिए स्थगित की गयी तत्पश्चात् 2.10 बजे पुनः एक घंटे पैंतीस मिनट के लिए स्थगित की गयी।

बहिर्गमन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 23 जनवरी, 2019 को प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न संख्या 30 के उत्तर से असंतुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा सदन–कूप में आकर नारेबाजी करने के उपरान्त सदन से बहिगर्मन किया गया।

अध्यक्षीय व्यवस्था

दिनांक 23 जनवरी, 2019 को अनुपूरक प्रश्न पूछे जाने के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 'प्रश्नकाल की महत्ता के लिये यह आवश्यक है कि मूल प्रश्नकर्ता सदस्य को जो दो अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है, उसे वहां तक ही सीमित रहने दें। बहुत ही जरूरी हुआ, तो प्रतिपक्ष के नेता और वरिष्ठ सदस्य को हम अलाउ करेंगे। जो सदस्य प्रश्न देता है, उसी को प्रश्न पूछने का अधिकार होने से दो फायदे होते हैं। एक तो प्रश्नकर्ता सदस्य की इम्पोर्टेन्स रहती है तथा दूसरा जितने ज्यादा प्रश्न हम सदन में डिस्कस करेंगे, उतना ही सरकारी अधिकारियों की अकाउण्टेबिलिटी होगी, सदन के सामने।

माननीय सदस्यगण, आप अधिक से अधिक प्रश्न दें। यदि आपके द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रश्न टू दी पॉइन्ट होंगे, रिलेवेंट होंगे, दो ही सप्लीमेंट्री होंगी, तो हम सदन में ज्यादा प्रश्न डिस्कस कर सकेंगे और जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर सकेंगे।'

सदन की गरिमा बनाये रखे जाने के सम्बन्ध में एक अन्य व्यवस्था देते हुए माननीय अध्यक्ष ने कहा कि 'जो माननीय सदस्य वैल को क्रॉस करते हैं, मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हमारे नियमों में वैल क्रॉस करने का प्रावधान नहीं है। कोई माननीय सदस्य बोल रहा है तो उसको क्रॉस नहीं करें। ये कुछ जनरल आब्जर्वेशन मैं आपके सामने इसलिए करना चाहता हूँ कि यह पहला सत्र है। जैसे–जैसे हम ज्यादा से ज्यादा नियमों का पालन करेंगे, उतना ही प्रभावशाली ढंग से हम सदन की गरिमा को बनाये रख सकेंगे।'

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 97 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 1416 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये । प्राप्त प्रश्नों में से 86 माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 595 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 50 तारांकित प्रश्न, प्रश्न–सूची में सूचीबद्ध हुए। 39 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 10 10 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 4 सदस्यों ने 9–9, 3 सदस्यों ने 8–8 तथा शेष 40 सदस्यों ने 7–7 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती संतोष, श्रीमती शकुन्तला रावत,

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती किरण माहेश्वरी एवं श्रीमती अनिता भदेल ने सर्वाधिक 10-10 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध प्रश्नों में सर्वाधिक 3-3 प्रश्न सर्वश्री अमीन खान, गुलाब चन्द कटारिया, नरेन्द्र नागर, मदन प्रजापत एवं श्रीमती किरण माहेश्वरी के थे।

उक्त के अतिरिक्त 85 माननीय सदस्यों के 821 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिनमें से 57 प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध हुए। 25 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 20-20 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 5 सदस्यों ने 19-19, 3 सदस्यों ने 18-18 तथा शेष 62 सदस्यों ने 17 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में सर्वश्रीमती संतोष, किरण माहेश्वरी, चन्द्रकान्ता मेघवाल एवं श्रीमती इंदिरा देवी ने सर्वाधिक 20-20 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में भाजपा के श्री निर्मल कुमावत के सर्वाधिक 5 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। सर्वाधिक सूचीबद्ध होने वाले महिला सदस्यों के प्रश्नों में श्रीमती संतोष के 4 तथा श्रीमती किरण माहेश्वरी के 2 प्रश्न थे।

विभागवार विश्लेषण के अनुसार प्राप्त तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 58 प्रश्न जन-स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, 51 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 48 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 43 प्रश्न ऊर्जा विभाग तथा 33 प्रश्न सहकारिता विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 4-4 प्रश्न उच्च शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, शिक्षा विभाग एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा 3-3 प्रश्न सहकारिता विभाग, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, पर्यटन विभाग व तकनीकी शिक्षा विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 66 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 63 प्रश्न शिक्षा विभाग, 55 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 47 प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग तथा 46 जन-स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 6 प्रश्न शिक्षा विभाग, 5-5 प्रश्न उच्च शिक्षा विभाग व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा 4 प्रश्न राजस्व विभाग से सम्बन्धित थे।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाए तो प्रथम् सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 310 तारांकित प्रश्नों में से 27 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 165 में से 14, निर्दलीय सदस्यों के 69 में से 1, बीटीपी के 9 में से 3, आरएलटीपी के 22 में से 4, तथा माकपा के 17 में से 1 प्रश्न सूचीबद्ध हुआ। बसपा के 3 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 402 प्रश्नों में से 27 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों के 231 में से 15, निर्दलीय सदस्यों के 93 में से 7, बीटीपी के 4 में से 3, आरएलटीपी के 53 में से 4 तथा माकपा के सदस्यों के 35 में से 1 प्रश्न सूचीबद्ध हुआ। अतारांकित प्रश्नों में भी बसपा के 3 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाए तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 74 तारांकित प्रश्नों में से 6 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 167 अतारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 423 तारांकित प्रश्नों में से 39 तथा 519 अतारांकित प्रश्नों में से 38 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 49 तारांकित प्रश्नों में से 5 तथा 100 अतारांकित प्रश्नों में से 7 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इनेकां के 23 तारांकित प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न

सूचीबद्ध नहीं हुआ लेकिन 47 में से 1 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुआ। आरएलटीपी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 2 तारांकित में से एक प्रश्न सूचीबद्ध हुआ लेकिन 20 अतारांकित प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हुआ।

समीक्ष्य सत्र में सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 37 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। सर्वाधिक 10–10 प्रश्न 22 जनवरी एव 11 फरवरी, 2019 को तथा 9 प्रश्नों पर 23 जनवरी, 2019 को तथा 8 प्रश्नों पर 21 जनवरी, 2019 को चर्चा हुई। दिनांक 23 जनवरी, 2019 को प्रश्न सूची में सूचीबद्ध सभी 9 प्रश्नों पर चर्चा हुई। सत्र के दौरान दिनांक 15, 16, 17 व 18 जनवरी, 2019 तथा 13 फरवरी, 2019 को प्रश्न काल नहीं हुआ।

स्थगन प्रस्ताव

प्रथम सत्र में नियम 50 के अन्तर्गत 28 माननीय सदस्यों के 52 स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत प्रस्तावों में से 33 प्रस्तावों को अध्यक्षीय व्यवस्था द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया तथा शेष 19 प्रस्तावों पर सदस्यों को दो मिनट बोलने की अनुमति के पश्चात् अस्वीकृत किया गया। 9 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभ्युक्ति दी गयी। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 18 सदस्यों ने 32, 6 निर्दलीय सदस्यों ने 10, माकपा तथा आरएलटीपी के 2–2 सदस्यों ने 5–5 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। सर्वाधिक 4–4 प्रस्ताव श्री हनुमान बैनिवाल, श्री रामलाल शर्मा तथा श्री गुलाब चन्द कटारिया ने प्रस्तुत किये। 3–3 प्रस्ताव 4 सदस्यों ने, 2–2 प्रस्ताव 7 सदस्यों ने तथा एक–एक प्रस्ताव 14 सदस्यों ने प्रस्तुत किये। 4 महिला सदस्यों ने पाँच प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 36 माननीय सदस्यों की ओर से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 40 सूचनाएं प्राप्त हुईं। इन सभी सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया। प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 16 सदस्यों ने 16, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 12 सदस्यों ने 14, माकपा के 2 सदस्यों ने 3, चार निर्दलीय सदस्यों ने 5 तथा बसपा एवं आरएलटीपी के एक–एक सदस्य ने एक–एक सूचना प्रस्तुत की। 8 महिला सदस्यों द्वारा दस सूचनाएं प्रस्तुत की गयीं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 3 तथा इनेकां की पाँच सदस्य थीं। सर्वाधिक तीन सूचनाएँ इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत ने प्रस्तुत कीं। माकपा के श्री गिरधारी लाल तथा निर्दलीय श्री सुरेश टाक ने 2–2 सूचनाएँ प्रस्तुत कीं तथा शेष सभी 33 सदस्यों ने एक–एक सूचना प्रस्तुत की।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 13 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 14 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गयी। इनमें से 6 विषयों पर सम्बन्धित मंत्रियों द्वारा अभ्युक्तियां दी गईं। इनेकां के श्री मदन प्रजापत ने दो विषय उठाये तथा शेष सभी 12 सदस्यों ने एक–एक विषय उठाया। विषय उठाने वाले सदस्यों में भाजपा के 5, इनेकां के 3, दो निर्दलीय तथा बसपा, माकपा एवं आरएलटीपी के एक–एक सदस्य थे। भाजपा की श्रीमती संतोष पर्ची के माध्यम से विषय उठाने वाली एकमात्र महिला सदस्य थीं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 11 फरवरी, 2019 को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत श्री हनुमान बैनिवाल ने जयपुर के पृथ्वीराज नगर क्षेत्र में इंदिरा विकास गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की श्रीराम नगर योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कथित रूप से बैक डेट में फर्जी पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। प्रभारी मंत्री श्री शांती कुमार धारीवाल ने इस पर वक्तव्य दिया।

समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

प्रथम सत्र के दौरान कार्य सलाहकार समिति के चार प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किये गये।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 13 फरवरी, 2019 को श्री बुलाकी दास कल्ला, ऊर्जा मंत्री ने राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए दस प्रतिशत आरक्षण तथा राज्य के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमीलेयर की सीमा 8.00 लाख रुपये निर्धारित करने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।

शासकीय संकल्प

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 13 फरवरी, 2019 को श्री बुलाकीदास कल्ला, ऊर्जा मंत्री ने यह संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत किया कि 'राजस्थान प्रदेश के अति पिछड़े वर्गों अर्थात् बंजारा, बालदिया, लबाना, गाडिया लोहार, गाडोलिया, गूजर, गुर्जर, राईका, रैबारी, देबासी, गडरिया, गाडरी, गायरी के शैक्षिक और सामाजिक रूप से अत्यधिक पिछड़े होने को दृष्टिगत रखते हुए ''राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) अधिनियम, 2017'' एवं ''राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2019'' को संविधान के अनुच्छेद-31(ख) के अन्तर्गत संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करवाने एवं संविधान में यथोचित संशोधन के लिए यह सदन भारत सरकार से आग्रह करता है।' तत्पश्चात् श्री बुलाकीदास कल्ला, ऊर्जा मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प सदन द्वारा पारित किया गया।

श्रीमती ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ने एक अन्य संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत किया कि 'महिलाओं के लिए लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में, एक-तिहाई सीट आरक्षित करने हेतु राजस्थान सरकार द्वारा लिये गये निर्णय का संज्ञान लेते हुए, यह सदन केन्द्र सरकार से आग्रह करता है कि महिलाओं के लिए लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में, एक-तिहाई सीट आरक्षित करने हेतु अतिशीघ्र महिला आरक्षण बिल पारित किया जाए।' इस पर श्री वासुदेव देवनानी, श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री गुलाब चंद कटारिया, नेता प्रतिपक्ष व श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री ने विचार व्यक्त किये। तत्पश्चात् श्रीमती ममता भूपेश, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री के उत्तर के पश्चात् प्रस्तुत संकल्प सदन द्वारा पारित किया गया।

अध्यक्ष का सम्बोधन

दिनांक 13 फरवरी, 2019 को माननीय अध्यक्ष ने गुर्जर नेताओं से आंदोलन को वापस लेने हेतु अपील की कि 'मैं आप सबकी तरफ से सदन की भावनाओं के साथ गुर्जर आन्दोलन के नेताओं से अपील करना चाहता हूँ, सदन में जो सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया है, कि वह आंदोलन को विदड्रा करें, जिससे राजस्थान में शांति बन सके। राजस्थान सरकार ने और पूरे सदन ने मिलकर जो संकल्प पारित किया है, उससे मैं आशा करता हूँ कि राजस्थान में शांति और कानून-व्यवस्था बनी रहेगी।'

वित्तीय कार्य

(क) अतिरेक मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

प्रथम सत्र में दिनांक 23 जनवरी, 2019 को श्री शान्ती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री ने वर्ष 2015-16 व 2016-17 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन किया जिसे दिनांक 13 फरवरी, 2019 को आसन द्वारा मुख बंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

(ख) वित्तीय समितियों का निर्वाचन

दिनांक 11 फरवरी, 2019 को वित्तीय समितियों के निर्वाचन के सम्बन्ध में डॉ. महेश जोशी, सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत निम्नांकित प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया-

'राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम-232(1), 233-खा(1) द्वारा निर्दिष्ट रीति से समस्त सदस्यों में से क्रमश: जन लेखा समिति, 2019-2020, प्राक्कलन समिति ''क'', 2019-2020, प्राक्कलन समिति ''ख'', 2019-2020 एवं राजकीय उपक्रम समिति, 2019-2020, प्रत्येक के लिये 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने का प्रस्ताव सदन द्वारा अभिस्वीकृत किया गया है।

सर्वविदित स्पष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व अभिस्वीकृत प्रस्ताव के अधिलंघन में, मैं यह प्रस्ताव करता हूँ कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 306 के अध्यधीन प्रक्रिया के नियम 230(1), 231, सहपठित नियम 232(1), 233-खा(1) को निलम्बित कर यह सदन माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त करता है कि वे उपरोक्त समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासंभव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाए, जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, का मनोनयन करें।'

(ग) आय-व्ययक अनुमान 2019-20 एवं लेखानुदान

दिनांक 13 फरवरी, 2019 को मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2019-20 का उपस्थापन किया तथा वर्ष 2019-20 के लिये लेखानुदान सम्बन्धी विवरण भी प्रस्तुत किया। श्री गहलोत द्वारा प्रस्तुत लेखानुदान सम्बन्धी प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

(घ) अनुपूरक अनुदान की मांगें

दिनांक 13 फरवरी, 2019 को मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2018-19 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) का उपस्थापन किया जिसे आसन द्वारा मुख बंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

विधायी कार्य

(क) अध्यादेश

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 17 जनवरी, 2019 को श्री अंजना उदयलाल, सहकारिता मंत्री ने राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) अध्यादेश, 2018 (2018 का अध्यादेश संख्या-6) को सदन की मेज पर रखा।

(ख) सत्र के दौरान पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण अग्र प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
1/2019	राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2019	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019
2/2019	राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2019	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019
3/2019	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2019	22.01.2019	11.02.2019	11.02.2019
4/2019	राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2019	23.01.2019	11.02.2019	11.02.2019
5/2019	राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2019	11.02.2019	13.02.2019	13.02.2019
6/2019	राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2019	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019
7/2019	राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (संख्या-4) विधेयक, 2019	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019
8/2019	डॉ. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक, 2019	11.02.2019	13.02.2019	13.02.2019

9/2019	हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2019	11.02.2019	13.02.2019	13.02.2019
10/2019	राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2019	13.02.2019	13.02.2019	13.02.2019

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य पहले सत्र में सदन में निम्नांकित व्यक्तियों के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया–

क्र.	व्यक्ति का नाम	धारित पद	निधन की तिथि
		17.01.2019	
1.	श्री मदनलाल खुराना	पूर्व राज्यपाल, राजस्थान व पूर्व मुख्य मंत्री, दिल्ली	27.10.2018
2.	श्री नारायण दत्त तिवारी	पूर्व राज्यपाल, आंध्र प्रदेश व पूर्व मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड	18.10.2018
3.	श्री कुंजीलाल मीणा	पूर्व सांसद तथा पूर्व सदस्य, 6, 7, 9, व 14वीं वि.स.	07.01.2019
4.	श्री राम कुमार मीणा	पूर्व सांसद तथा पूर्व सदस्य, 4 व 5वीं वि.स.	03.12.2018
5.	श्री जगन्नाथ वर्मा	पूर्व सदस्य, 8,9,10,11 व 12वीं वि.स.	27.11.2018
6.	श्री रमाकान्त शर्मा	पूर्व सदस्य, 9 व 10वीं विधान सभा	16.11.2018
7.	श्री घासीलाल चौपड़ा	पूर्व सदस्य, 9वीं विधान सभा	16.11.2018
8.	श्री रणजीत सिंह राठौड़	पूर्व सदस्य, 4, 5 व छठी विधान सभा	30.12.2018
9.	श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल	पूर्व सदस्य, तीसरी व चौथी विधान सभा	16.09.2018
		11.02.2019	
10.	श्री जार्ज फर्नांडिस	समाजवादी नेता एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री	29.01.2019
11.	श्री भूदरमल वर्मा	पूर्व सदस्य, आठवीं विधान सभा	31.01.2019

✧✧✧